भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1895

दिनांक 04 **अगस्त**, 2021

देश में पेट्रोल पम्प और सीएनजी स्टेशन

1895 **श्री नीरज डांगी**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर राजस्थान में नए पेट्रोल पम्पों और सीएनजी फिलिंग स्टेशनों की स्थापना करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) नए पेट्रोल पम्पों और सीएनजी फिलिंग स्टेशनों के आवंटन में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने की समय-सीमा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का महानगरों सहित देश के प्रदूषित शहरों में सीएनजी स्टेशन स्थापित करने तथा इसके उपयोग को बढ़ावा देने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंम नियों (ओएमसीज) ने बताया है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल जैसे वाहन ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) नेटवर्क का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज ने राजस्थान राज्य सहित पूरे देश में आरओज की स्थापना करने के लिए नंवबर/दिसंबर 2018 में विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापित स्थलों के राज्य-वार ब्यौरे http://www.petrolpumpdealerchayan.in पर उपलब्ध हैं।

देश में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप्स के आवंटन हेतु प्रक्रिया /मानक /मानदंड ओएमसीज की संबंधित वेबसाइट अर्थात www.iocl.com,www.bharatpetroleum.com & www. hindustanpetroleum. com. पर दिए गए हैं।

इसके अलावा, सीएनजी स्टेशनों की स्थापना सीजीडी नेटवर्क के विकास का एक हिस्सा है और यह कार्य पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत कंम नियां करती हैं। पीएनजीआरबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन संबद्धता के विकास और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के साथ सीजीडी नेटवर्क विकिसत करने हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करता है। पूरे देश में राजस्थान राज्य और ग्रामीण क्षेत्रों सहित

27 राज्यों/संघ शासित राज्यों में फैले हुए 407 जिलों को शामिल करते हुए लगभग 232 जीएज को सीजीडी नेटवर्क के विकास हेतु प्राधिकृत किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सीएनजी स्टेशनों की राज्य/संघ शासित राज्य-वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज ने बताया है कि आरओज के लिए डीलर चयन संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलापों के लिए निम्नलिखित समय सीमा निर्धारित की गई है:-

उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने की समय सीमा	30 दिन
ड्रा ऑफ लाट्स/बोली के लिए न्यूनतम नोटिस अवधि	10 दिन
दस्तावेज/प्रारंभिक जमानत राशि प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा	10 दिन
चुने गए उम्मीदवार द्वारा आईएसडी तथा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त समय	10 दिन+20 दिन
सुधार करने योग्य कमियों के संबंध में चुने गए उम्मीदवार से उत्तर प्राप्त होने के लिए समय	21 दिन + 21 दिन

इसके अलावा, चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं:-

एलईसी के दौरे के लिए तारीख और समय के संबंध में उम्मीदवार को सूचना	10 दिन
एलईसी के दौरे के समय को पुन: निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त समय	10 दिन
प्रत्यय पत्रों के क्षेत्र सत्यापन (एफवीसी) की तारीख और समय के संबंध में उम्मीदवार को सूचना देना	10 दिन
एफवीसी के मूल कार्यक्रम के स्थान पर कार्यक्रम को पुनर्निधारित करने के लिए अतिरिक्त समय	10 दिन
ड्रा ऑफ ला स/बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयन के बाद शिकायत दर्ज करवाने के लिए समय (एलओआई एफवीसी के बाद जारी किया जाना है और यह परिणाम की घोषणा के 30 दिन से पहले जारी नहीं किया जाएगा)	30 दिन

उपर्युक्त तथा अन्य कार्यकलापों, राजमार्गों पर खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना हेतु सांविधिक/एनएचएआई मंजूरी, प्राप्त हुई शिकायतों का निपटान, यदि कोई हों, के लिए अपेक्षित समय को ध्यान में रखते हुए स्थल पर निर्भर करते हुए खुदरा बिक्री की स्थापना में औसतन छ: माह से दो वर्ष तक का समय लगता है।

(ड.) और (च) सीएनजी स्टेशनों की स्थापना से सीएनजी की उपलब्धता और खपत बढ़ गई है। प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से पीएनजीआरबी द्वारा सौंपे गए न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के अनुसार प्राधिकृत कंपनियां पूरे देश में 8 से 10 वर्षों की अवधि में 8181 सीएनजी स्टेशनों की स्थापना करेंगी।

****

अनुलग्नक

देश में पेट्रोल पम्प और सीएनजी स्टेशन के संबंध में दिनांक 04.08.2021 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1895 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में सीएनजी स्टेशन

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	सीएनजी स्टेशनों की संख्या (संचयी)		
		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
1	आन्ध्र प्रदेश	44	65	85
2	असम	0	1	1
3	बिहार	2	8	13
4	चंडीगढ (यूटी)	5	11	11
5	छत्तीसगढ़	0	0	0
6	दादरा व नागर हवेली	3	6	7
7	दमन व दीव (यूटी	3	8	13
8	दि ली (यूटी)	391	419	436
9	गोवा	5	2	7
10	गुजरात	527	634	779
11	हरियाणा	71	107	186
12	हिमाचल प्रदेश	0	0	1
13	झारखंड	0	8	25
14	कर्नाटक	23	26	72
15	केरल	4	6	27
16	म य प्रदेश	42	51	102
17	महारा ट्र	313	375	488
18	ओ डशा	6	19	24
19	पुदुच्चेरी (यूटी)	0	0	0
20	पंजाब	12	37	101
21	राजस्थान	5	14	67
22	तमिलनाडु	0	0	23
23	तेलंगाना	45	66	97
24	त्रिपुरा	9	10	12
25	उत्तर प्रदेश	229	311	485
26	उत्तराखंड	3	3	17
27	पश्चिम बंगाल	0	0	15